रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24032020-218874
CG-DL-W-24032020-218874

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, मार्च 15—मार्च 21, 2020, शनिवार / फाल्गुन 25, 1941—चैत्र 1,1942
No. 11] NEW DELHI, MARCH 15—MARCH 21, 2020, SATURDAY/PHALGUNA 25, 1941—CHAITRA 1, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

सा.का.नि. 68 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग, भाषायी प्रशासक, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2017 को, उन बातो के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए,

जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग में भाषायी प्रशासक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, भाषायी प्रशासक, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2020 है ।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
भाषायी प्रशासक	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 13 (123100-215900/ रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली, रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति]

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13
संयुक्त पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति] केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या अर्द्धसरकारी या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200/- रुपए) में या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700/- रुपए) में या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :- **आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में मास्टर डिग्री ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सहित से हिन्दी में मास्टर डिग्री ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी सहित अंग्रेजी में मास्टर डिग्री ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में हिन्दी माध्यम में मास्टर डिग्री ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी सहित अंग्रेजी या हिन्दी से भिन्न किसी विषय में	लागू नहीं होता	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

अंग्रेजी माध्यम में मास्टर डिग्री ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी तथा अंग्रेजी या इनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम तथा दूसरी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में होते हुए हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों के अधीन परीक्षा कार्य संभालने में अनुभव सहित हिन्दी में शब्दावली (शब्दकोषीय कार्य) के प्रयोग या लागू करने और मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में शैक्षिक और तकनीकी सामग्री की विषय वस्तु का अंग्रेजी से हिन्दी या विलोमत: अनुवाद कार्य में पांच वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** (i) शिक्षाविदों या विशेषज्ञों के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या विचार गोष्ठियों को आयोजित करने या उनसे संबद्ध रहने में तीन वर्ष का अनुभव। (ii) हिन्दी में प्रदत्त पी.एचडी. डिग्री या भाषायी अनुसंधान में प्रकाशित कार्य। (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर पर भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का अध्ययन किया हो। **टिप्पण – 1** : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700/- रुपए) में ऐसे विभागीय वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा माध्यम) जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रतिनियुक्ति के लिए यथाविहित आवश्यक और वांछनीय अर्हताएं रखता है, के नाम पर भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा और यदि वे इस पद के लिए चयनित होते हैं तो पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा। **टिप्पण – 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण – 3** : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 39011/06/2015-स्था. (ख)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 12th March, 2020

G.S.R. 68.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Union Public Service Commission, Linguistic Administration, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2017 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Linguistic Administrator in the Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Linguistic Administrator, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax in consultation with Union Public Service Commission, any of the provisions to these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Linguistic Administrator.	1* (2020) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level 13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By composite method [Deputation (including short-term contract) plus promotion]

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Composite method [Deputation (including short-term contract) plus promotion] : Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or semi-Government or recognised research institutions or Universities or public sector undertakings or autonomous or statutory organisations,-	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level 12 in the pay matrix, Rs. 78800-209200/- or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with ten years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level 11 in the pay matrix Rs. 67700-208700/- or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualification and experience:- **Essential:** (i) Master's Degree in Linguistics from a recognised University; or Master's Degree in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level from a recognised University; or Master's Degree in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level from a recognised university; or Master's Degree in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level from a recognised university; or Master's Degree in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level from a recognized university; or Master's Degree in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level from a recognised University; (ii) five years experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, of the texts of academic and technical content, in different disciplines of humanities, social sciences, science and technology including experience of handling examination work under Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research or educational institutions. **Desirable:** (i) three years experience in organising or associating in national or international conference or seminars of academicians or experts; (ii) Doctor of Philosophy awarded in Hindi by a recognized university or published work in linguistic research; (iii) studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule to the Constitution at 10^{th} standard level from a recognised Board. **Note 1:** The Departmental Senior Research Officer		

(Language Medium) in level 11 in the pay matrix Rs. 67700-208700/- with ten years' of regular service in the grade and having essential and desirable qualifications as prescribed for deputationists shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, it shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2**: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.		

[F. No. 39011/06/2015-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

सा.का.नि. 69.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संघ लोक सेवा आयोग (सुरक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 1993 तथा संघ लोक सेवा आयोग (सुरक्षा सहायक) समूह 'ग' भर्ती नियम, 2007 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के सुरक्षा इकाई में सुरक्षा अधिकारी तथा सुरक्षा सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (i)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग,(सुरक्षा इकाई) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2020 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.—** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है ।

5. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति –

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की ऐसी कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.सुरक्षा अधिकारी	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु. 47600-151100)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त विधि (प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
संयुक्त विधि (प्रतिनियुक्ति और प्रोन्नति)। भारत सरकार के सुरक्षा-सह-आसूचना अधिकरणों (जो आसूचना ब्यूरो या अनुसंधान और विश्लेषण विंग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (रु. 44900 – 142400 /-) या इसके समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पशचात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल -6 (रु. 35400–112400/-) में या इसके समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पशचात उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो ; और	लागू नहीं होता	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थातः- **(i)** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समतुल्य डिग्री**;** तथा **(ii)** सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी और आसूचना एकत्रित करने, सुरक्षा व्यवस्था करने में दो वर्ष का अनुभव रखते हों। **नोट 1:** बाहरी व्यक्तियों के साथ-साथ प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 (रु. 35400-112400 / -) में सुरक्षा सहायक का पद धारण करने वाले और इस ग्रेड में छह साल की नियमित सेवा करने वाले ऐसे विभागीय अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा और यदि उन्हें पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है**,** तो उस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। **नोट 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **नोट 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सुरक्षा सहायक	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400/-)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	अधिवर्षिता की आयु से पहले पुनः नियोजित अधिकारियों के लिए दो वर्ष ।	प्रतिनियुक्ति / आमेलन / पुनः नियोजित (सशस्त्र बल के कार्मिको के लिए)।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन:- भारत सरकार के सुरक्षा-सह-आसूचना अधिकरणों (जो आसूचना ब्यूरो या अनुसंधान और विश्लेषण विंग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (रु. 29200 – 92300/-) या इसके समतुल्य में	**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अपर सचिव, प्रशासन शाखा के प्रभारी,संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सामान्य शाखा के प्रभारी, संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य 3 संयुक्त सचिव, भर्ती या परीक्षा शाखा के प्रभारी, संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है ।

नियमित आधार पर नियुक्ति के पशचात उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की हो ; या **(ख)** सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी और आसूचना एकत्रित करने, सुरक्षा व्यवस्था करने में दो वर्ष का अनुभव रखते हों। सशस्त्र बल कार्मिक: प्रतिनियुक्ति / पुनः नियोजन जूनियर कमीशन अधिकारी या समकक्ष रैंक के ऐसे सशस्त्र बल कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हों या जिनका आरक्षित करने के लिए स्थानांतरण होने वाला है और वे प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता तथा अनुभव रखते हों । यदि उनका चयन किया जाता है, तो ऐसे अधिकारियों को सशस्त्र बलों से उनकी निर्मुक्ति की तिथि तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा । इसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन की शर्तों पर जारी रखा जा सकता है। यदि ऐसे पात्र अधिकारी पद पर वास्तविक चयन होने से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं या उन्हें आरक्षित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है, तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर होगी (सिविल पदों के संदर्भ में अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)। **नोट 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **नोट 2**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. 39021/09/2018-स्था.(ख)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 17th March, 2020

G.S.R. 69.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission (Security Officer) Recruitment Rules, 1993 and the Union Public Service Commission (Security Assistant) Group 'C' post Recruitment Rules, 2007 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Security Officer and Security Assistant in the Security Unit of Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Union Public Service Commission, (Security Unit) Group 'B' posts Recruitment Rules, 2020.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to the posts specified in the Column (**1)** of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (**2)** to (**4)** of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (**5)** to (**13)** of the afore-said Schedule.

5. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Security Officer.	01* (2020) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-8 (Rs.47600-151100/-).	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Composite method (Deputation plus Promotion)

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Composite method (Deputation plus Promotion). Officers from Security-cum-Intelligence agencies of the Government of India (that is Intelligence Bureau or Research and Analysis Wing or Central Bureau of Investigation or Border Security Force or Central Reserve Police Force or Indo Tibetan Border Police or Central Industrial Security Force): (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-7 of the pay matrix (Rs. 44900-142400/-) or equivalent in the parent Cadre or Department; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post.

basis in the level-6 of the pay matrix (Rs. 35400-112400/-) or equivalent in the parent Cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Bachelor's degree from a recognised University or equivalent; and (ii) two years' experience in organising security arrangements, gathering information and intelligence relating to various aspects of security. **Note 1:** The Departmental Officer holding the post of Security Assistant in level-6 of the pay matrix (Rs.35400-112400/-) with six years' regular service in the grade and possessing educational qualification and experience prescribed for deputationists shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Security Assistant	01* (2020). *(Subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 (Rs. 35400-112400/-)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for officers re-employed before the age of superannuation	Deputation/ Absorption/re-employment (For Armed Forces Personnel)

(11)	(12)	(13)
Deputation/ Absorption: Central Government Officers working in Security-cum-Intelligence agencies including Intelligence Bureau or Research and Analysis Wing or Central Bureau of Investigation or Border Security Force or Central Reserve Police Force or Indo Tibetan Border Police or Central Industrial Security Force of the Government of India: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Additional Secretary in charge of Administration Branch, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary in-charge of General Branch, Union Public Service Commission - Member; 3. Joint Secretary in-charge of Recruitment or Exam Branch, Union Public Service Commission - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

thereto on a regular basis in the level-5 of pay matrix (Rs. 29200-92300/-) or equivalent in the parent Cadre or Department; and (b) possessing two years' experience in organising security arrangements, gathering information and intelligence relating to various aspects of security. For Armed Forces Personnel: Deputation/ Re-employment The Armed Forces Personnel of the rank of Junior Commissioned Officer or equivalent, who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis (re-employment up to the age of superannuation with reference to civil posts). **Note 1**: Period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 39021/09/2018-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2020

सा.का.नि.70.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी(आयुर्विज्ञान),वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, भर्ती नियम 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है,या करने का लोप किया गया है, वैज्ञानिक तथा

तकनीकी शब्दावली आयोग में **वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, आयुर्विज्ञान (संवर्ग बाह्य पद),** के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, आयुर्विज्ञान (संवर्ग बाह्य पद)**, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो नियमों से उपाबंध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति.—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (आयुर्विज्ञान) (संवर्ग बाह्य पद)	**01(2020)*** कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' , अननुसचिवीय राजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
35 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5	**योग्यता: अनिवार्य**: (i) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम,1970 (1970 का 48) के अधीन मान्यता प्राप्त आयुर्वेद चिकित्सा और शल्य चिकित्सा का बेच्लर

वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण:** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	(बीएएमएस); (ii) भारतीय चिकित्सा के केंद्रीय रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर पर रजिस्ट्रीकरण; **अनुभव** : किसी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या किसी अर्ध-सरकारी या स्वायत्त या वैधानिक संगठन या किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में आयुर्वेदिक चिकित्सा में अनुसंधान या शिक्षण के क्षेत्र में तीन साल का अनुभव। **वांछनीय :** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि। **टिप्पण 1**: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा **आयोग** या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2**:अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग का सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)
लागू नहीं होता	एक वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(10)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क)(i) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करतें हो ; (ख)जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के दिन 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ अन्तरण किया जाएगा
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
(12)
समूह 'क ' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे
(1) अपर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग –अध्यक्ष; (2) संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग –सदस्य; (3) अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग –सदस्य।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)
सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[मि.सं.1-09/2/2017-स्था. (वै.त.श.आ.)]

सुमन दीक्षित, उप-सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

New Delhi, the 19th March, 2020

G.S.R. 70.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Senior Scientific Officer (Medicine),Commission for Scientific and Technical Terminology, New Delhi, Recruitment Rules, 2014,except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Senior Scientific Officer (Medicine) (Ex-cadre),**the Commission for Scientific and Technical Terminology in Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, namely: -

1. **Short title and commencement.—**(1)These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education**Senior Scientific Officer (Medicine) (Ex-cadre),** Commission for Scientific and Technical Terminology, New Delhi, Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. **Number of post, classification and level in the paymatrix.—**The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be a specified in columns (2) to (4)of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age–limit, other qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.—**No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Scientific Officer (Medicine) (Ex-Cadre)	**01 (2020)*** Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted,Group ‘A’	Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servant upto five years in accordance with instruction or orders issued by the Central Government.) **Note** :The crucial date for determining the age limit

					shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Qualification:Essential Qualification: (i)Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (BAMS) recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970); (ii) Enrolment on the Central Register of Indian Medicine or State Register of Indian Medicine; (iii) Studied Hindi or any modern Indian language and English as compulsory or optional subjects at 10th level. **Experience:**Threeyears experience in the field of research or teaching in Ayurveda Medicine in any Central Government or State Government department or Autonomous or Statutory Organization or in any University or recognised Research Institution. **Desirable Qualification:**Post-Graduate Degree in Ayurveda from a recognised University or Institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	One year

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotions or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment. **NOTE:** vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,– (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; and (b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition
(12)
Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) consisting of:-
(1) Additional Secretary, Department of Higher Education –Chairman; (2) Joint Secretary, Department of Higher Education –Member; (3) Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology – Member.

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation of the Commission is necessary for filling up the post.

[F.No.1-09/2/2017-Estt.(CSTT)]

SUMAN DIXIT, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 मार्च 2020

सा.का.नि. 71.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग समूह 'क ' और समूह 'ख ' 'राजपत्रित पदों के भर्ती नियम 1995 जहाँ तक उनका संबंध उप-निदेशक(विषय) सहायक निदेशक (विषय) तथा सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (विषय) के पदों से है और सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भर्ती नियम, 2014, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अतिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप-निदेशक(विषय), सहायक निदेशक (विषय) तथा सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (विषय)के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ . —**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप-निदेशक(विषय) सहायक निदेशक (विषय) तथा सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (विषय) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर, —**पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो नियमों से उपबंध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं. —** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति:

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति . —जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति . — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.उप-निदेशक (विषय)	**02** (2020)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (67700-208700 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ अन्तरण किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति** सहायक निदेशक (विषय) के पद पर पांच वर्षों से नियमित रूप से वेतन मैट्रिक्स स्तर 10 **(रु. 56100-177500)** पर कार्य कर रहे हों। **टिप्पणी;** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधी सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
(12)
समूह 'क ' वभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी
(1) सचिव/ अपर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय –अध्यक्ष;
(2) संयुक्त सचिव/ संयुक्त शिक्षा सलाहकार (भाषा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग – सदस्य;
(3) अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोंग –सदस्य।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)
संघ लोकसेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.सहायक निदेशक (विषय)	**19 (2020)*** कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क',राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 **(रु. 56100-177500)**	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
33% प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित ; और 67% प्रोन्नति से ऐसा ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित I	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स स्तर -7(**रु.44900-142400**) पर सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (विषय) के पद पर तीन वर्षों से नियमित रूप से कार्य कर रहे हों तथा जिन्होंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो I **टिप्पण;** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधी सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो I **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केंद्र / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों / स्वायत्त / सांविधिक संगठन / सार्वजनिक उपक्रमों / विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन अधिकारी : (क)(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करतें हो ; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 (**रु.**47600-151100) या वेतन मैट्रिक्स स्तर-9 (**रु-53100-167800**) या समकक्ष वेतनमान मूल काडर अथवा विभाग में नियुक्ति के पश्चात् जिन्होंने दो वर्ष की नियमित सेवा की है ; (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं **इंजीनियरी विषय के पद के लिए:** (क) **अनिवार्य:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी में बेच्लर की डिग्री; दसवीं स्तर पर हिंदी या किसी आधुनिक भारतीय भाषा और अंग्रेजी का अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन किया हो I केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग में या किसी स्वायत या कानूनी निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्था या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में संबद्ध इंजीनियरी विधा में तीन वर्ष का फील्ड या अनुसन्धान या शिक्षण का अनुभव (ख) **वांछनीय :** किसी भी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से इंजीनियरी की सम्बद्ध शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री। **टिप्पण** : सही विधा, जिसमें इंजीनिरी डिग्री की अर्हता अपेक्षित है, प्रत्येक भर्ती के समय उपदर्शित की जायेगी। **इंजीनियरी विषय से भिन्न किसी भी विषय में पदों के लिए:** (क) **अनिवार्य:** सम्बद्ध विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर्स डिग्री ;और दसवीं स्तर पर हिंदी या किसी आधुनिक भारतीय भाषा और अंग्रेजी का अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन किया हो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के विभाग में या किसी स्वायत्त या कानूनी निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में संबद्ध विषय में तीन वर्ष का फील्ड या अनुसंधान या शिक्षण का अनुभव (ख) **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से संबंधित विषय में पी.एच.डी। **टिप्पण** (1) सही विधा, जिसमें स्नातकोत्तर डिग्री की अर्हता अपेक्षित है, प्रत्येक भर्ती के समय उपदर्शित की जायेगी। **टिप्पण** (2) पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त

	व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण** (3) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	
समूह 'क ' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी	समूह 'क ' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी
(1) अध्यक्ष / सदस्य - संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष; (2) अपर सचिव/ संयुक्त सचिव (भाषा)/संयुक्त शिक्षा सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) –सदस्य ; (3) अध्यक्ष , वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग –सदस्य; (4) निदेशक (भाषा) / उप-सचिव (भाषा) उप शिक्षा सलाहकार (भाषा) , मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) –सदस्य।	(1) अपर सचिव/ संयुक्त सचिव (भाषा) संयुक्त शिक्षा सलाहकार (भाषा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (उच्चतर शिक्षा विभाग) –अध्यक्ष; (2) अध्यक्ष , वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग/ निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय –सदस्य; (3) निदेशक (भाषा)/ उप-सचिव (भाषा)/ उप शिक्षा सलाहकार (भाषा मानव) संसाधन विकास मंत्रालय, (उच्चतर शिक्षा विभाग) –सदस्य।

(13)
संघ लोक सेवा आयोग से सभी परिस्थितियों में परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (विषय)	**24(2020)*** कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' , अननुसचिवीय अराजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7(44900-142400 रु.)	लागू नहीं होता

(6)	**(7)**
30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण:** आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	(क) **अनिवार्य**: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी में बेच्लर की डिग्री; (ii)दसवीं स्तर पर हिंदी या किसी आधुनिक भारतीय भाषा और अंग्रेजी का अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन किया हो; और अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में हिंदी या किसी भी आधुनिक भारतीय भाषा और अंग्रेजी का अध्ययन किया हो। **इंजीनियरी विषय से भिन्न किसी भी विषय में पदों के लिए:** (i)सम्बद्ध विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री ;और (ii) दसवीं स्तर पर हिंदी या किसी आधुनिक भारतीय भाषा और अंग्रेजी का अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन किया हो। **अनुभव:** **इंजीनियरी विषय के पदों के लिए:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या के किसी विभाग में या किसी स्वायत या कानूनी निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्था या पब्लिक सेक्टर

	उपक्रम में संबद्ध इंजीनियरी विधा में दो वर्ष का फील्ड या अनुसन्धान या शिक्षण का अनुभव हो । **इंजीनियरी विषय से भिन्न किसी भी विषय में पदों के लिए:** केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के विभाग में या किसी स्वायत्त या कानूनी निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में संबद्ध विषय में दो वर्ष का फील्ड या अनुसंधान या शिक्षण का अनुभव हो । **(ख) वांछनीय :** **इंजीनियरी विषय के पदों के लिए:** किसी भी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से इंजीनियरी की सम्बद्ध शाखा में मास्टर्स डिग्री। **टिप्पण :** सही विधा, जिसमें इंजीनियरी डिग्री की अहर्ता अपेक्षित है,प्रत्येक भर्ती के समय उपदर्शित की जायेगी । **इंजीनियरी विषय से भिन्न किसी भी विषय में पदों के लिए:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से संबंधित विषय में पी.एच.डी। **टिप्पण :** सही विधा, जिसमें स्नातकोत्तर डिग्री की अहर्ता अपेक्षित है,प्रत्येक भर्ती के समय उपदर्शित की जायेगी । **टिप्पण 1**:अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध करके, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2**:अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

(8)	(9)
लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी । (क)(i) मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करतें हो ; अथवा (ii) मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-6(रु. 35400-112400)) या समकक्ष वेतनमान के पद पर नियुक्ति के पश्चात् जिन्होंने 5 वर्ष की नियमित सेवा की है ; (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो, में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के दिन 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(11)
लागू नहीं होता

(12)
समूह 'ख ' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी
(1) अध्यक्ष , वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग –अध्यक्ष;
(2) निदेशक(भाषा)/उप-सचिव (भाषा)उप शिक्षा सलाहकार(भाषा) , मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा –सदस्य;
(3)प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग –सदस्य ।

(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं।

[मि.सं.1-09/2/2017-स्था.(वै.त.श.आ.)]

सुमन दीक्षित, उप-सचिव

New Delhi, the 19th March, 2020

G.S.R. 71.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Hindi Directorate andCommission for Scientific and Technical Terminology Group (A) and Group (B)Gazetted and Non Gazetted posts Recruitment Rules, 1995 in so far as they relate to the posts of the **Deputy Director (Subjects),Assistant Director (Subjects)**and **the Assistant Scientific Officer (Medicine)**,Commission for Scientific and Technical Terminology,New Delhi,Recruitment Rules,2014 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of **Deputy Director (Subjects)**,**Assistant Director (Subjects),** and**Assistant Scientific Officer (Subjects),**the Commission for Scientific and Technical Terminology in Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, namely: -

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education,Deputy Director (Subjects),Assistant Director (Subjects) and Assistant Scientific Officer (Subjects)Commission for Scientific andTechnical Terminology, New Delhi, Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.-** The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Deputy Director (Subjects)	**02 (2020)*** Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'	Level-11 (Rs.67700-208700)in Pay Matrix	Selection post	Not applicable

Educational and other qualification required For direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment :Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotions or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By promotion	**Promotion:** Assistant Director (Subject) in Level 10 of the pay matrix (Rs. 56100-177500) with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in the relevant field as prescribed by the department. **Note:**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition
(12)
Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of:-
(1) Secretary/ Additional Secretary, Ministry of Human Resource Development – Chairman; (2) Joint Secretary/ Joint Education Adviser (Languages), Ministry of Human Resource Development –member; (3) Chairman , Commission for Scientific and Technical Terminology/Director, Central Hindi Directorate –member.

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Director (Subjects)	**19(2020)*** **s**ubject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	Level-10 (Rs. 56100-177500) in pay matrix	Selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two Years

(10)	(11)
33% by Deputation including short-term contract 67% by Promotion failing which by deputation including short-term contract.	**Promotion :** Assistant Scientific Officer (Subjects) with three years regular service in the grade, Level 7 in the Pay Matrix (Rs. 44900-142400)and having successfully completed two to four weeks training in relevant areas as prescribed by the department **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their

	probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (Including Short–term Contract):** Officers under the Central or State Governments orUnion Territories or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertakings or Universities orRecognised Research Institutes,**—** (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre ordepartment; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 8 (Rs. 47600-151100) or Level 9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre ordepartment; and (b)possessing the following educational qualification and experience: **For post of Engineering discipline** **Essential :** Bachelor Degree in Engineering from a recognised University or Institute; Studied Hindi or any Modern Indian Language and English as compulsory or optional subjects at tenth level. Three years of field or research or teaching experience in the concerned subject from any Central Government or State Government Department or from any autonomous or Statutory Body University or recognised research Institutions or public sector undertaking. **Desirable:** Post-graduate degree in concerned branch of Engineering from a recognised University or Institute **Note:-** The exact discipline in which the Engineering Degree qualification is required will be indicated at the time of each recruitment. AND **For post in any subject other than Engineering :** **Essential :** Master Degree from a recognised University in the subject concerned; Studied Hindi or any Modern Indian Language and English as compulsory or optional subjects at tenth level. Three years of field or research or teaching experience in the concerned discipline in any Central Government or State Government Department or in any autonomous or Statutory Body, University or recognised research Institutions or public sector undertaking. **Desirable:** Ph.D. in the concerned subject from a recognised University or Institute **Note:-1**The exact discipline in which the Masters Degree qualification is required will be indicated at the time of each recruitment. **Note:-2** The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion. **Note:-3**Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	
Departmental Promotion Committee **(for considering promotion) consisting of:-**	Departmental Confirmation Committee**(for considering confirmation) consisting of:-**
(1)Chairman/Member - Union Public Service Commission —Chairman; **(**2**)** Additional Secretary/ Joint Secretary (Languages) / Joint Educational Adviser Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) —member;	(1) Additional Secretary/ Joint Secretary (Languages) / Joint Educational Advisor(Languages) Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education)**—**Chairman**;** (2) Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology/Director, Central Hindi Directorate**—**Member**;** (3) Director(Languages/ Deputy Secretary(Languages)/ Deputy

(3) Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology —member; **(4)** Director(Languages/ Deputy Secretary (Languages)/ Deputy Educational Advisor (Languages), Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) —member.	Education Advisor(Languages), Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) **—**Member.

(13)
Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.Assistant Scientific Officer (Subjects)	**24 (2020)*** * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial , Non-Gazetted, Group 'B'	Level-7 (Rs. 44900-142400) in Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servant up to five years in accordance with instruction or orders issued by Central Government.) **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)
Qualification: (A) Essential : (i) Bachelors Degree in Engineering from a recognised University or Institute; (ii) Studied Hindi or any Modern Indian Language and English as compulsory or optional subjects at tenth level ; and **For posts in any subject other than Engineering :** (i) Master's Degree from a recognised University in the subject concerned; (ii) Studied Hindi or any Modern Indian Language and English as compulsory or optional subjects at tenth level. **Experience:** **For the post of Engineering discipline:** Two years of field or research or teaching experience in the concerned Engineering discipline in any Central Government or State Government Department or in any autonomous or Statutory Body, University or recognised research Institutions or public sector undertaking. **For post in any subject other than Engineering :** Two years of field or research or teaching experience in the concerned subject from any Central Government or State Government Department or from any autonomous or Statutory Body, University or recognised research Instructions or public sector undertaking. **(B) Desirable :** **For the post of Engineering discipline:** Post-graduate degree in the concerned branch of Engineering from a recognised University or Institute. **Note:** The exact discipline in which the Engineering Degree qualification is required will be indicated at the time of each recruitment. **For post in any subject other than Engineering:** Ph.D. in the concerned subject from a recognised University or Institute. **Note:** The exact discipline in which the Masters Degree qualification is required will be indicated at the time of each recruitment. **Experience:** Not applicable. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff	Not applicable	Two years

Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commissionor Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

(10)	(11)
By direct recruitment. **Note:** vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level six (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note:**The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.

(12)
Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) consisting of:-
(1)Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology —Chairman; (2) Director(Languages)/Deputy Secretary(Languages)/ Deputy Education Advisor(Languages) Department of Higher Education —Member; (3) Principal Scientific Officer, Commission for Scientific and Technical Terminology —Member.

(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

[F.No.1-09/2/2017-Estt.(CSTT)]
SUMAN DIXIT, Dy. Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 72.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, (पुस्तकालय परिचर) श्रेणी 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली में पुस्तकालय परिचर समूह 'ग' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली, पुस्तकालय परिचर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर — पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि — भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता — वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय परिचर	*1 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-1 (18000-56900/- रू.)	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यार्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण** 1 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण** 2 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा

					अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	**(10)**
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य; और (ii) किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी छुट्टी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, जो सदृश पद धारण किये हुए है और जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं है ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. वैज्ञानिक 'घ', केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला – अध्यक्ष; 2. अवर सचिव, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला – सदस्य; 3. अवर सचिव (केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला का भारसाधक), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. ए-12018/37/2018-स्था.-II]

शांतनु रक्षित, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 27th February, 2020

G.S.R. 72.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Soil and Materials Research Station, (Library Attendant) Group 'C' Post Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Attendant, Group 'C' Post in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Soil and Materials Research Station, New Delhi, namely:—

1. **Short title and commencement. —** (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Soil and Materials Research Station, New Delhi, Library Attendant (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix. —**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**. **—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person , —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library Attendant	1*(2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	level-1 (Rs.18000—56900/-)	Not applicable	Between 18 and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, and Union Territory of Andaman and Nicobar

					Islands and union territory of Lakshadweep. **Note 2**: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Matriculation or equivalent from a recognised Board/ Institution; and (ii) Two years experience in a Library.	Not applicable	Two years	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exits, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—** 1. Scientist 'D', Central Soil and Materials Research Station —Chairman; 2. Under Secretary, Central Soil and Materials Research Station —Member; 3. Under Secretary (In-charge of Central Soil and Materials Research Station), Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation — Member.	Not applicable.

[F.No. A-12018/37/2018- E.-II]

SANTANU RAKSHIT, Under Secy.

संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

सा.का.नि. 73.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी I और श्रेणी II पद) भर्ती नियम, 1967, जहां तक उनका संबंध उक्त नियम की अनुसूची के क्रमांक 11 (घ) पर अनुसंधान सहायक (पारिस्थितिकी) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण में समूह 'ख' पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उससे संलग्न स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि .—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .—** वह व्यक्ति, -

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र होगा :-

   परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति .—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनुसंधान सहायक (पारिस्थितिकी)	8* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-6,(35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक। **टिप्पण 1** : (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण : 2** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल विज्ञान में मास्टर डिग्री। **वांछनीय :** भूगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुसंधान कार्य अनुभव। **टिप्पण 1** : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2** : अनुभव संबधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं,	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा: **टिप्पण 1 :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएंगी : (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन

सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300 रु.) में या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात् छ: वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों। **टिप्पण 2** : (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूख 'ख' विभागीय पुष्टि समिति :** (i) निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण -अध्यक्ष (ii) अवर सचिव, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली - सदस्य; और (iii) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता के कार्यालय अध्यक्ष का कार्यभार संभालने वाला अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 6-10/2015-एएंडए]

ए. एन. मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF CULTURE

(Department of Culture)

New Delhi, the 16th March, 2020

G.S.R. 73.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Anthropological Survey of India (General Central Service Class I and II posts) Recruitment Rules, 1967, insofar as it relates to the post of Research Associate (Ecology) at serial number 11(d) thereof, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby make the following rules, regulating the method of recruitment to Group 'B' posts in the Anthropological Survey of India, namely: -

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Anthropological Survey of India, (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the said posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age - limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Research Associate (Ecology).	8 * (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 6 (Rs.35400 – 112400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years. **Note1:** (Relaxable for Government servant up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Megalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Master's degree in Geography from a recognised University or Institute. **Desirable :** One year research experience in Geography. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	Two years	By direct recruitment. **Note 1:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year may be filled on deputation basis from the officers of Central Government : (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department ; and (B) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits in column (7). **Note 2:** (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisations or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group ' B' Departmental Confirmation Committee consisting of :-** 1. Director, Anthropological Survey of India - Chairman; 2.Under Secretary to the Government of India, Ministry of Culture, New Delhi – Member; and 3. Senior Administrative Officer or Officer holding the charge of head of office Anthropological Survey of India, Kolkata - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 6-10/2015-A&A]

A.N. MISHRA,Under Secy.

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

सा.का.नि. 74.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी I और श्रेणी II पद) भर्ती नियम, 1967, जहां तक उनका संबंध उक्त नियम की अनुसूची के क्रमांक 5 (ड.) पर वरिष्ठ पारिस्थितिकीविद क्रमांक 5 (छ) पर मानव पारिस्थितिकीविद के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण के भौतिक मानवविज्ञान प्रभाग में समूह 'क' पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उससे संलग्न स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता .—**वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र होगा :-

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. वरिष्ठ पारिस्थितिकीविद	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-11, (67700-208700 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500/-रु.) के ऐसे मानव पारिस्थितिकीविद जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल हैं :-** (i) सचिव, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली - अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली -सदस्य; और (iii) निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. मानव पारिस्थितिकीविद	03* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-10, (56100-177500-रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा नहीं हो तो प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400/- रु.) के ऐसे अनुसंधान सहायक (पारिस्थतिकीविद) जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :-** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्त या कानूनी संगठन में ऐसे अधिकारी :– (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100 रु.) में या स्तर 9 (53100-167800 रु.) समतुल्य पद पर नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात् दो: वर्ष सेवा की हो; और (ख) विहित अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों : **अनिवार्य :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) भूगोल विज्ञान में अनुसंधान के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** जनजातीय क्षेत्रों के कार्य क्षेत्र में अनुभव का प्रमाण **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2** : (प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य	**समूख 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली - सदस्य 3. निदेशक- भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य **समूख 'क' विभागीय पुष्टि समिति :** 1. संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली - अध्यक्ष 2. निदेशक- भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य 3. निदेशक/उप सचिव, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।		

[फा. सं. 6-10/2015-एएंडए]

ए. एन. मिश्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 16th March, 2020

G.S.R. 74.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Anthropological Survey of India (General Central Service Class I and II Posts), Recruitment Rules, 1967, in so far as they relate to the post of Senior Ecologist at serial number 5(e)and Human Ecologist at serial number 5(g) thereof, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby make the following rules, regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in the Anthropological Survey of India, namely: -

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Anthropological Survey of India (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Ecologist	01 * (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level 11 (Rs. 67700 – 208700)	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Human Ecologist in level 10 (Rs. 56100 – 177500) in the pay matrix with five years' regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group – 'A' Departmental Promotion Committee consisting of ;** 1. Secretary, Ministry of Culture, New Delhi –Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Culture, New Delhi –Member; and 3. Director, Anthropological Survey of India –Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Human Ecologist	03 * (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service,Group – 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level 10 (Rs.56100 – 177500)	Selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two Years for promotees	By promotion failing which by deputation (Including Short Term Contract)

(11)	(12)	(13)
Promotion: Research Associate (Ecology) in level 6 (Rs.35400 – 112400) in the pay matrix with eight years' regular service in the grade. **Note:** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their	**Group 'A' Departmental Promotion Committee:** 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission -Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Culture, New Delhi –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each

seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (Including Short Term Contract):** Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or recognised university or research institution or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation: (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in posts in the level 8 (Rs 47600-151100) or level-9 (Rs.53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department ; and (B) possessing the following educational qualification and experience: **Essential:** (i) Master's degree in Geography from a recognised University or Institute; (ii) three years' research experience in the field of Geography. **Desirable:** Evidence of experience in the field work in tribal areas. **Note1**: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** (Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).	3. Director Anthropological Survey of India, -Member. **Group – 'A' Departmental Confirmation Committee:** 1. Joint Secretary Ministry of Culture, New Delhi - Chairman. 2. Director Anthropological Survey of India -Member. 3. Director/Deputy Secretary, Ministry of Culture, New Delhi -Member.	occasion.

[F. No. 6-10/2015-A&A]

A. N. MISHRA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.24 10:50:35 +05'30'